पश्चिम बंगाल SIR: अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

समाचार-संदर्भ: 23 नवंबर 2026 का अंतरिम आदेश

प्रिलिम्स: चुनाव आयोग, मतदाता सूची, संशोधन और अपील

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-II, संवैधानिक संस्थाएँ, प्राकृतिक न्याय और न्याय तक पहुँच

खबरों में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित मामलों में **23 नवंबर 2026** को अंतरिम निर्देश जारी किए। न्यायालय ने मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की अपीलों को प्राथमिकता देने, अपीलों की अलग श्रेणियाँ बनाने और चुनाव अपीलीय अधिकरणों की क्षमता बढ़ाने को कहा।

मामला **मोस्तारी बानू बनाम भारत निर्वाचन आयोग, रिट याचिका (सिविल) संख्या 1089/2025** और उससे जुड़े मामलों का है। पीठ में प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे।

इस आदेश का मुख्य प्रश्न है: मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करते समय गलत बहिष्करण से राहत पाने की प्रक्रिया को व्यावहारिक और सुलभ कैसे बनाया जाए?

SIR क्या है

विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची की व्यापक जाँच और अद्यतन करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल करना, गलत प्रविष्टियों को सुधारना और कानून के अनुसार आवश्यक विलोपन करना है।

इसे केवल संदिग्ध व्यक्तियों के नाम हटाने की प्रक्रिया कहना गलत होगा। मतदाता की पात्रता, तथ्यों का सत्यापन और लागू कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हैं। केवल संदेह को अपने-आप नाम हटाने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

विषय	23 नवंबर का लिखित निर्देश
अधिकरणों की क्षमता	चुनाव आयोग, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश और परामर्श से चुनाव अपीलीय अधिकरणों की क्षमता बढ़ाए
अपीलों का वर्गीकरण	सूची से हटाए गए मतदाताओं की अपीलें और किसी नाम के शामिल होने के विरोध की अपीलें अलग की जाएँ
प्राथमिकता	हटाए गए मतदाताओं की अपीलों के अंतिम निपटारे को प्राथमिकता मिले; दूसरी श्रेणी की अपीलें फिलहाल टाली जा सकती हैं
स्थान	अधिकरणों के लिए कोलकाता में केंद्रीय और उपयुक्त वैकल्पिक परिसर खोजे जाएँ, अधिमानतः शहर के अलग-अलग हिस्सों में
कोलकाता नगर निगम	निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों और संबंधित मतदाताओं की अपीलों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दी जाए

अधिकरण किसी विशेष प्रकार के विवाद या अपील पर निर्णय लेने वाला निकाय है। इस मामले में आदेश उन चुनाव अपीलीय अधिकरणों का उल्लेख करता है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने **10 मार्च 2026 के आदेश** से गठित किया था। उन्हें सामान्य मतदाता-सूची अपील व्यवस्था के साथ बिना भेद किए नहीं मिलाना चाहिए।

एक सप्ताह की अवधि किसके लिए थी

आदेश में चुनाव आयोग को कोलकाता नगर निगम क्षेत्र से संबंधित विधानसभा क्षेत्रों और अपीलों की पहचान का कार्य **एक सप्ताह के भीतर** पूरा कर जानकारी अधिकरण के सामने रखने को कहा गया।

इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी अपीलों का अंतिम निपटारा एक सप्ताह में करना था। पहचान और जानकारी उपलब्ध कराना प्रशासनिक चरण है; प्रत्येक अपील पर निर्णय अलग प्रक्रिया है।

दो प्रकार की अपीलों में अंतर

बहिष्करण के विरुद्ध अपील: व्यक्ति का अपना नाम मतदाता सूची से हटा है और वह उसे बहाल कराना चाहता है।

समावेशन के विरुद्ध अपील: कोई व्यक्ति किसी अन्य नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने से असहमत है और उस निर्णय को चुनौती देता है।

न्यायालय ने पहली श्रेणी को तत्काल प्राथमिकता दी। दूसरी श्रेणी को फिलहाल टालने का अर्थ उसे गलत या निराधार घोषित करना नहीं है। यह सुनवाई के क्रम से संबंधित अंतरिम व्यवस्था है।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को मतदाता सूचियाँ तैयार कराने और संबंधित चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण देता है। इस संवैधानिक भूमिका के साथ संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अलग-अलग कार्यों के लिए अलग प्रावधान हैं:

प्रावधान	विषय
धारा 21	मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण; उपधारा (3) विशेष पुनरीक्षण से संबंधित है
धारा 22	त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का सुधार, स्थानांतरण या निर्धारित आधारों पर विलोपन
धारा 23	मतदाता सूची में नाम शामिल करने का आवेदन
धारा 24	संबंधित आदेशों के विरुद्ध वैधानिक अपील

सत्यापन और सुनवाई: धारा 22 के अंतर्गत आवश्यक जाँच और तथ्यों का उचित सत्यापन महत्वपूर्ण है। संबंधित प्रविष्टि के सुधार या नाम हटाने की कुछ स्थितियों में व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना आवश्यक है। इसलिए पुनरीक्षण की शक्ति और प्रक्रिया के सुरक्षा उपायों को साथ पढ़ना चाहिए।

विशेष व्यवस्था बनाम सामान्य व्यवस्था: धारा 24 की सामान्य वैधानिक अपील और इस मामले में न्यायालय के आदेश से गठित अधिकरणों की व्यवस्था अलग स्रोतों से आती हैं। किसी व्यक्ति का सही मंच और प्रक्रिया संबंधित आदेश तथा लागू नियमों से तय होगा।

प्राकृतिक न्याय से संबंध

प्राकृतिक न्याय का सरल अर्थ है कि प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिले और निर्णय निष्पक्ष प्रक्रिया से हो।

मतदाता-सूची विवाद में यह केवल औपचारिक नोटिस तक सीमित नहीं है। व्यक्ति को यह समझ आना चाहिए कि उसके नाम से संबंधित समस्या क्या है, वह अपना पक्ष कहाँ रख सकता है और प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध कौन-सा उपाय उपलब्ध है।

23 नवंबर के आदेश में अपीलों का वर्गीकरण, अधिकरणों की क्षमता बढ़ाना और सुविधाजनक परिसर खोजना इस व्यापक समस्या के अलग-अलग पहलुओं को संबोधित करते हैं। अपील का अधिकार तभी प्रभावी बनता है जब उसका उपयोग समय और स्थान की दृष्टि से संभव हो।

आदेश की सीमाएँ

- **यह अंतरिम व्यवस्था है:** इस आदेश को सभी विवादित प्रविष्टियों की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं समझना चाहिए।
- **प्राथमिकता से स्वतः बहाली नहीं होती:** हटाए गए मतदाता की अपील पहले सुनी जा सकती है, लेकिन परिणाम प्रत्येक मामले की जाँच पर निर्भर करेगा।
- **समावेशन संबंधी आपत्तियाँ समाप्त नहीं हुईं:** उन्हें फिलहाल टालने की अनुमति दी गई है।
- **मतदाता सूची और अन्य पात्रताएँ अलग प्रश्न हैं:** सूची में नाम होने या न होने से हर दूसरी योजना की पात्रता का सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं निकलता। संबंधित कानून, योजना के नियम और लागू न्यायिक आदेश अलग जाँचे जाने चाहिए।

आगे की राह

समयबद्ध प्रशासन: अधिकरणों को पर्याप्त संसाधन, सुविधाजनक स्थान और स्पष्ट कार्य-विभाजन मिलना चाहिए।

प्रक्रिया की स्पष्टता: अपीलकर्ताओं को दस्तावेज़, सुनवाई की स्थिति और उपलब्ध उपायों की सरल जानकारी मिले।

शुद्धता और समावेशन का संतुलन: अपात्र प्रविष्टियों को रोकना और पात्र मतदाताओं को अनुचित बहिष्करण से बचाना एक ही विश्वसनीय सूची व्यवस्था के दो पक्ष हैं।

सावधान सार्वजनिक संचार: मौखिक टिप्पणी, पक्षकार की दलील, अंतरिम निर्देश और अंतिम निर्णय को अलग-अलग बताना चाहिए। ऐसा न करने से न्यायालय के आदेश का अर्थ बदल सकता है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. मतदाता सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण से संबंधित है।

कथन 2: सुप्रीम कोर्ट के 23 नवंबर 2026 के अंतरिम आदेश में पश्चिम बंगाल में सूची से हटाए गए मतदाताओं की अपीलों को प्राथमिकता दी गई।

कथन 3: उक्त आदेश ने किसी नाम के समावेशन के विरुद्ध सभी अपीलों को अंतिम रूप से खारिज कर दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a)

कथन 1 सही है। धारा 21 तैयारी और पुनरीक्षण का प्रावधान है, जबकि धारा 22 प्रविष्टियों के सुधार या विलोपन और धारा 23 नाम शामिल करने से संबंधित है। कथन 2 सही है। न्यायालय ने बहिष्करण के विरुद्ध अपीलों के अंतिम निपटारे को प्राथमिकता देने को कहा। कथन 3 गलत है। समावेशन के विरोध की अपीलें फिलहाल टाली जा सकती हैं; वे अंतिम रूप से खारिज नहीं हुईं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के साथ पात्र मतदाताओं को गलत बहिष्करण से बचाना क्यों आवश्यक है? प्रभावी अपील व्यवस्था और प्राकृतिक न्याय के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: विश्वसनीय मतदाता सूची को चुनावी भागीदारी और निष्पक्ष प्रशासन से जोड़ें। सूची की शुद्धता और पात्र व्यक्तियों का समावेशन दोनों आवश्यक बताएँ।

मुख्य भाग में: अनुच्छेद 324 तथा अधिनियम की धाराओं 21-24 की अलग भूमिकाएँ स्पष्ट करें। जाँच, सुनवाई, प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध उपाय और व्यावहारिक पहुँच का महत्व लिखें। पश्चिम बंगाल मामले में अपीलों के वर्गीकरण, प्राथमिकता, अधिकरणों की क्षमता और उपयुक्त परिसर संबंधी निर्देशों को उदाहरण बनाएँ। अंतरिम प्राथमिकता और अंतिम राहत का अंतर भी स्पष्ट करें।

निष्कर्ष में: ऐसा सुधार सुझाएँ जो सूची की विश्वसनीयता, प्रक्रियागत निष्पक्षता और समय पर राहत, तीनों को साथ आगे बढ़ाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या प्राथमिकता मिलने से नाम अपने-आप बहाल हो जाता है?

नहीं। प्राथमिकता सुनवाई और निपटारे के क्रम से संबंधित है। नाम बहाल करने का निर्णय संबंधित अपील की जाँच के बाद होगा।

क्या एक सप्ताह में सभी अपीलें तय करने का आदेश था?

नहीं। एक सप्ताह का निर्देश कोलकाता नगर निगम क्षेत्र से संबंधित पहचान और जानकारी अधिकरण को उपलब्ध कराने के कार्य के लिए था।

क्या बाद की रिपोर्ट में कही गई हर बात लिखित आदेश का हिस्सा होती है?

नहीं। न्यायालय की मौखिक टिप्पणी, वकील की दलील और लिखित निर्देश अलग हो सकते हैं। किसी बाध्यकारी निर्देश का दावा करते समय संबंधित लिखित आदेश देखना चाहिए।

स्रोत

- सुप्रीम कोर्ट: 23 नवंबर 2026 का मूल आदेश, विशेषकर पृष्ठ 6-7
- भारत निर्वाचन आयोग: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का पाठ
- इंडिया कोड: अधिनियम का पाठ, विशेषकर धाराएँ 21-24
- चुनाव आयोग पर उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट निर्णय: अनुच्छेद 324 का उद्धृत पाठ